



कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं० 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248005

Mail ID : ukmssbdun@gmail.com; Website : www.ukmssb.org Phone: 01352665366

पत्र संख्या: उ०चि०से०च०बो०/परी०/14/2025-26/27

दिनांक: 13 जनवरी 2026

उत्तराखण्ड प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के 287 पदों (बैकलॉग पदों सहित) के सापेक्ष अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निस्तारण की सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या: उ०चि०से०च०बो०/परी०/14/2025-26/784, दिनांक: 13 नवम्बर, 2025 के माध्यम से उत्तराखण्ड प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के रिक्त 287 पदों (बैकलॉग पदों सहित) पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि **10 दिसम्बर 2025** निर्धारित की गई थी।

कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के पत्रांक- उ०चि०से०च०बो०/परी०/14/2025-26/07, दिनांक- 05 जनवरी 2026 द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों की स्कूटनी के पश्चात् कतिपय अभ्यर्थियों को विज्ञापन में उल्लिखित मापदण्डों को पूर्ण नहीं करने या अर्हता धारित करने या श्रेणी-उपश्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने या वैध न होने के कारण या वांछित अभिलेख ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध नहीं कराने के कारण अनर्ह घोषित कर दिया गया था। ऐसे अनर्ह अभ्यर्थियों को अपनी अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन पुष्ट साक्ष्य सहित दिनांक 08 जनवरी 2026 (सांय 05:00 बजे) तक बोर्ड कार्यालय में ई-मेल आई०डी० पर अथवा अन्य किसी भी माध्यम से प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया था।

अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं वांछित अभिलेखों पर बोर्ड द्वारा सम्यक् विचार किया गया। विचारोपरान्त ऐसे अभ्यर्थी, जिनके वांछित प्रमाण पत्र/अभिलेख पूर्ण पाये गये हैं, उन्हें अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार हेतु अर्ह सूची में सम्मिलित किया गया है तथा शेष अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा अपने प्रत्यावेदनों के साथ उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के पुष्ट न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने/अपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने तथा कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत न करने पर बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित कर दिया गया है। ऐसे अनर्ह किये गये अभ्यर्थियों का विवरण तालिका संलग्न कर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है। शेष अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु औपबन्धिक रूप से अर्ह घोषित किया गया है।

नोट- अर्ह अभ्यर्थी प्रवेश पत्र दिनांक 13 जनवरी 2026 से बोर्ड की आधिकारिक वैबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

ह०/-
(प्रदीप जोशी),
सचिव।

साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025
अंतिम अनर्ह सूची

S.No.	Registration No.	Candidate's Name	Father/Husband's Name	Remark	Final Remark (After Representation Submission)
1	9001000019	Mr.INDERJEET SINGH CHARAN	MOHAN SINGH	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ प्रोविजनल (औपबिन्धक) उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (संख्या— 6134) संलग्न एवं अंकित किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।”अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को निर्गत उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के उपरान्त का निर्गत किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।”अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
2	9001000134	Mr. ANIMESH SHUKLA	MR RAJESH KUMAR SHUKLA	अभ्यर्थी द्वारा मात्र एम0बी0बी0एस0 की अंकतालिका प्रस्तुत की गई है। अन्य वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न किये गये उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (संख्या 10295, दिनांकित 31 अगस्त 2020) तथा उक्त प्रमाण पत्र के नवीनीकरण (रिन्यू) हेतु जारी रसीद प्रस्तुत की गई है। अभ्यर्थी का पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 30 जुलाई 2025 तक वैध है तथा अभ्यर्थी द्वारा नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रमाण पत्र में प्रमाण पत्र की वैधता पांच वर्ष होने का उल्लेख किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” चूंकि अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 दिसम्बर 2025 तक वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
3	9001000163	Mr. PARMOD SINGH	SURAT SINGH	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित तथा संलग्न उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (संख्या— 4663 दिनांक 04 अप्रैल 2013) संलग्न किया गया है। प्रस्तुत प्रमाण पत्र में प्रमाण पत्र की वैधता पांच वर्ष होने का उल्लेख किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” चूंकि अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 दिसम्बर 2025 तक वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।

साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025
अंतिम अनर्ह सूची

S.No.	Registration No.	Candidate's Name	Father/Husband's Name	Remark	Final Remark (After Representation Submission)
4	9001000311	Mr. SNEHIL NAGARKOTI	ASHOK SINGH NAGARKOTI	अभ्यर्थी द्वारा वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
5	9001000627	Mr. CECIL VALENTINE	JOSHUA VALENTINE	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्गत वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
6	9001000991	Ms. ISHA RANA	JAGMOHAN SINGH RANA	अभ्यर्थी द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण की गई परीक्षा सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में दिनांक 19 दिसम्बर 2025 को निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण की गई परीक्षा सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। अभ्यर्थी के दस्तावेजों के पुनःअवलोकन पर संज्ञान में आया कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में औपबन्धिक मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या –8881 दिनांक 29 अक्टूबर 2024 अंकित किया गया है तथा प्रत्यावेदन के साथ प्रस्तुत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के उपरान्त का निर्गत किया गया प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” चूंकि अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 दिसम्बर 2025 तक वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
7	9001001066	Mr. AMIT SAH	JAWAHAR SAH	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित दिल्ली मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र औपबन्धिक है जिसकी वैधता दिनांक 19 अगस्त 2025 तक है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” चूंकि अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 दिसम्बर 2025 तक वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।

साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025

अंतिम अनर्ह सूची

S.No.	Registration No.	Candidate's Name	Father/Husband's Name	Remark	Final Remark (After Representation Submission)
8	9001001116	Mr. HARSH ANAND	SUSHIL CHANDRA ANAND	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत गुजरात मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (दिनांक 19 जुलाई 2020 को निर्गत) की वैधता के सम्बन्ध में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
9	9001001134	Ms. DIPTI SAHU	KHEMCHAND SAHU	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
10	9001001318	Mr. DIVYANSHU	SATYA PRAKASH YADAV	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिनांक 31 जनवरी 2025 को निर्गत औपबन्धिक मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” चूंकि अभ्यर्थी के पास वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा इन्टर्नशीप प्रमाण पत्र संलग्न कर रहे हैं। परन्तु प्रत्यावेदन के साथ देश के किसी भी राज्य का स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” चूंकि अभ्यर्थी के पास वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
11	9001001370	Ms. KAJAL ADHIKARI	B S ADHIKARI	अभ्यर्थी द्वारा बी0ए0एम0एस0 शैक्षिक अर्हता धारित है। प्रश्नगत पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एम0बी0बी0एस0 है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
12	9001001475	Mr. LAKSHYA GUPTA	ASHOK KUMAR GUPTA	अभ्यर्थी द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण की गई परीक्षा सम्बन्धी दस्तावेज तथा वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये गये हैं।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
13	9001001571	Mr. AKSHAT BHATT	RAJAT KUMAR BHATT	अभ्यर्थी द्वारा औपबन्धिक मेडिकल काउंसिल प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” चूंकि अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 दिसम्बर 2025 तक वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।

साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025

अंतिम अनर्ह सूची

S.No.	Registration No.	Candidate's Name	Father/Husband's Name	Remark	Final Remark (After Representation Submission)
14	9001001609	Mr. PRADHYUMN KUMAR	ASHOK KUMAR	अनर्ह— अभ्यर्थी बी0एस0नर्सिंग डिग्री शैक्षिक अर्हता धारित है। प्रश्नगत पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एम0बी0बी0एस0 है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
15	9001001718	Mr. ANKUSH BHANIWAL	RAMESH BHANIWAL	अभ्यर्थी द्वारा वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
16	9001001755	Ms. NAVYA VERMA	NEERAJ KUMAR VERMA	अभ्यर्थी द्वारा बिहार मेडिकल काउंसिल का औपबन्धिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” चूंकि अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 दिसम्बर 2025 तक वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
17	9001001832	Mr. SAURAV KUMAR	RAMESH KUMAR MAHTO	अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
18	9001001846	Mr. CHETAN DOI	SHYAM SUNDER GURJAR	अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
19	9001001901	Ms. TANYA SAINI	NEERAJ SAINI	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
20	9001001931	Mr. HARSHIT KAMLAKAR	SWADESH KUMAR KAMLAKAR	अभ्यर्थी बी0ए0एम0एस0 शैक्षिक अर्हता धारित है। प्रश्नगत पद हेतु वांछित अर्हता एम0बी0बी0बी0एस है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।

साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025

अंतिम अनर्ह सूची

S.No.	Registration No.	Candidate's Name	Father/Husband's Name	Remark	Final Remark (After Representation Submission)
21	9001002038	Mr. MOHIT DAVE	SURYA PRAKASH DAVE	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ प्रोविजनल (औपबिन्धक) उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (संख्या— 6134) संलग्न एवं अंकित किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
22	9001002042	Mr. AMRISH KUMAR SINGH	RAM SURAT SINGH	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
23	9001002051	Mr. MANISH KUMAR	RAJ KUNWAR	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिनांक 01 अक्टूबर 2020 को निर्गत उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जो कि 30 सितम्बर 2025 तक वैध है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” चूंकि अभ्यर्थी के पास वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ दिनांक 08 जनवरी 2026 को उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र को नवीनीकृत (रिन्थू) कराने हेतु जारी रसीद प्रस्तुत की गई है जो कि मान्य नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” चूंकि अभ्यर्थी के पास वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
24	9001002062	Mr. SANJAY GUPTA	RADHA KRISHAN GUPTA	अभ्यर्थी बी0एच0एम0एस0 शैक्षिक अर्हता धारित है। प्रश्नगत पद हेतु वांछित अर्हता एम0बी0बी0बी0एस है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
25	9001002071	Ms. JIGYASA BISHT	BRIJ MOHAN SINGH BISHT	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
26	9001002079	Mr. VIKRAMA JEET	HARI SHANKAR	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।

साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025
अंतिम अनर्ह सूची

S.No.	Registration No.	Candidate's Name	Father/Husband's Name	Remark	Final Remark (After Representation Submission)
27	9001002083	Ms. ARADHANA VERMA	RAMESH KUMAR	अभ्यर्थी बी0एच0एम0एस0 शैक्षिक अर्हता धारित है। प्रश्नगत पद हेतु वांछित अर्हता एम0बी0बी0बी0एस है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
28	9001002143	Mr. ANIL KUMAR	SATBIR SINGH	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
29	9001002358	Mr. MOHIT KUMAR SINGH	MAHABIR SINGH	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
30	9001002364	Mr. VISHAL SINGH RANA	BALDEV SINGH	अभ्यर्थी द्वारा हाईस्कूल, इण्टरमिडिएट की अंकतालिका तथा एम0बी0बी0एस0 की अंतिम वर्ष की अंकतालिका को छोड़कर अन्य वांछित दस्तावेज ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
31	9001002365	Mr. ALLEN JOSHUA VALENTINE	JOSHUA VALENTINE	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ प्रोविजनल (औपबिन्धक) महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (संख्या— पी0आर0/0329/2024) संलग्न एवं अंकित किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ दिनांक 06 जनवरी 2026 को निर्गत महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जो कि ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के उपरान्त निर्गत हुआ है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।

साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025

अंतिम अनर्ह सूची

S.No.	Registration No.	Candidate's Name	Father/Husband's Name	Remark	Final Remark (After Representation Submission)
32	9001002410	Mr. UTKARSH JOSHI	VIJAY KUMAR JOSHI	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित तथा संलग्न उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (संख्या— 8552 दिनांक 07 सितम्बर 2018) संलग्न किया गया है। प्रस्तुत प्रमाण पत्र में प्रमाण पत्र की वैधता पांच वर्ष होने का उल्लेख किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” चूंकि अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 दिसम्बर 2025 तक वैधता संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
33	9001002423	Mrs. ANKITA SRIVASTAVA	ANIL KUMAR SRIVASTAVA	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (संख्या— 105755 दिनांक 12 मई, 2023) संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
34	9001002531	Ms. JHANHVI	RAKESH CHANDER	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
35	9001002543	Mr. RAHUL KUMAR BHARGAV	DILIP KUMAR	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित दिल्ली मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (संख्या— 17255 दिनांक 26 अप्रैल, 2017) संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।

साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025
अंतिम अनर्ह सूची

S.No.	Registration No.	Candidate's Name	Father/Husband's Name	Remark	Final Remark (After Representation Submission)
36	9001002588	Mr. ANISH KUMAR SHARMA	VIJAY SHARMA	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित तथा संलग्न हिमाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (संख्या— 3741/18 दिनांक 01 दिसम्बर, 2018) संलग्न किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” चूंकि अभ्यर्थी का हिमाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 दिसम्बर 2025 तक वैधता संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
37	9001002614	Mr. DR AMIT KUMAR	HEERA LAL RUDRIYAL	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ प्रोविजनल (औपबिन्धक) उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (संख्या— 8723 दिनांक 27 मई, 2024) संलग्न एवं अंकित किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (संख्या 18080 दिनांकित 07 जनवरी 2026) प्रस्तुत किया गया है, जो कि ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के उपरान्त का जारी किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।

साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025
अंतिम अनर्ह सूची

S.No.	Registration No.	Candidate's Name	Father/Husband's Name	Remark	Final Remark (After Representation Submission)
38	9001002625	Mr. JAMSHED ALI	BASHIER AHAMAD	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (संख्या— यू0एम0सी0 29197 दिनांक 17 नवम्बर, 2025) संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिनांक 11 जून, 2014 को निर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जो कि ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15— एच में उल्लेख है कि “उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का होने का प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 के अनुसार निर्गत किया गया अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण—पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 10 दिसम्बर 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 दिसम्बर 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।” अतः अभ्यर्थी को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन के साथ दिनांक 07 जनवरी 2026 को निर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र तथा दिनांक 07 जनवरी 2026 को निर्गत उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त दोनों प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के उपरान्त के निर्गत किये गये हैं। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 01 तथा 02 में प्राविधान है कि आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना अनिवार्य है। साथ ही 15— एच में उल्लेख है कि “उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का होने का प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 के अनुसार निर्गत किया गया अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण—पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 10 दिसम्बर 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 दिसम्बर 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।” अतः अभ्यर्थी को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” चूंकि अभ्यर्थी के पास आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 10 दिसम्बर 2025 तक निर्गत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
39	9001002663	Mr. RAHUL PALSANIYA	OM PRAKASH PALSANIYA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
40	9001002763	Mr. TARUN PAL	SATBIR SINGH PAL	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (संख्या— एफ0पी0 1258) दिनांक 12 नवम्बर, 2024) संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है। अभ्यर्थी द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण की गई परीक्षा सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।

साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025
अंतिम अनर्ह सूची

S.No.	Registration No.	Candidate's Name	Father/Husband's Name	Remark	Final Remark (After Representation Submission)
41	9001002765	Ms. YOGYATA BHATT	BRIJ MOHAN BHATT	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ प्रोविजनल (औपबिन्धक) उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (संख्या— 9693) संलग्न एवं अंकित किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपश्रेणी हेतु राज्य आन्दोलनकारी का दावा किया गया है परन्तु अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के साथ स्वयं के पिता का राज्य आन्दोलनकारी सम्मान परिचय पत्र संलग्न किया गया है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
42	9001002787	Mr. DUSHYANT YADAV	SURINDER KUMAR YADAV	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (संख्या— 5607 दिनांक 01 अप्रैल, 2015) संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
43	9001002796	Mr. ADITYA SHARMA	SUSHIL SHARMA	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ राजस्थान मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (संख्या—47783 दिनांक 11 मई, 2020) संलग्न एवं अंकित किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।

साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025
अंतिम अनर्ह सूची

S.No.	Registration No.	Candidate's Name	Father/Husband's Name	Remark	Final Remark (After Representation Submission)
44	9001002904	Ms. NIMISHA PALI	C B PALI	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण संख्या 103517 दिनांक 29 सितम्बर, 2025 को निर्गत औपबन्धिक मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि "अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" चूंकि अभ्यर्थी के पास वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
45	9001002948	Mrs. MISHIKA GAHLOT	S S GAHLOT	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण संख्या 6970 दिनांक 15 फरवरी, 2023 को निर्गत औपबन्धिक मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि "अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" चूंकि अभ्यर्थी के पास वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
46	9001002977	Ms. SUHANI DEVI	KAMLESH KUMAR PANDA	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (संख्या— 105003 दिनांक 26 अप्रैल, 2023) संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।

साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025
अंतिम अनर्ह सूची

S.No.	Registration No.	Candidate's Name	Father/Husband's Name	Remark	Final Remark (After Representation Submission)
47	9001002990	Mr. RAMAN YADAV	RAJESH YADAV	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण संख्या 8854 दिनांक 22 अक्टूबर, 2024 को निर्गत औपबन्धिक मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” चूंकि अभ्यर्थी के पास वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ दिनांक 19 दिसम्बर 205 को निर्गत उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जो कि ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” चूंकि अभ्यर्थी के पास ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
48	9001002997	Mr. MOHIT JOSHI	DEVI DUTT JOSHI	अभ्यर्थी वांछित पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
49	9001003027	Ms. PURNA PANDEY	RAKESH KUMAR	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (संख्या— ए0ए0बी0 0120201509 दिनांक 17 अप्रैल, 2025) संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
50	9001003042	Ms. NAINA SHRUTI	NEERAJ KUMAR GUPTA	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित दिल्ली मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (संख्या— 114271 दिनांक 18 जुलाई, 2024) संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
51	9001003070	Mr. ARUNKUMAR T	P THANKARAJ	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित दिल्ली मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (संख्या— 320283 दिनांक 01 मई, 2024) संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।

साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025
अंतिम अनर्ह सूची

S.No.	Registration No.	Candidate's Name	Father/Husband's Name	Remark	Final Remark (After Representation Submission)
52	9001003151	Mr. UDIT BHUTANI	ANIL BHUTANI	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (संख्या- 9891 दिनांक 10 दिसम्बर, 2025) संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ औपबन्धिक (प्रोविजनल) उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (संख्या 9891 दिनांकित 10 दिसम्बर 2025) प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” चूंकि अभ्यर्थी के पास वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
53	9001003160	Mrs. KANIKA UPRETI	HANSA DUTT	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ एम0बी0बी0एस0 की अंतिम वर्ष की अंकतालिका को छोड़कर अन्य वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
54	9001003162	Ms. MAHIMA	MAHESH CHANDRA NAUTIYAL	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (संख्या- 10918 दिनांक 11 जून, 2021) संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा प्रत्योवदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।